

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग - 2

॥विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी॥
सोमवार, 19 मई, 1997 / बैशाख 29, 1919 ॥शक॥

संख्या : 329

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, उत्तारी जिला, दिल्ली का दिनांक 14.5.1997 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह अपना कर्तव्य समझा है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री वासुदेव कप्तान को उनके समर्थकों सहित सड़क को रोकने और यातायात के सहज प्रवाह में रुकावट डालने से रोके जाने तथा दिल्ली में लाल किले की क्रॉसिंग से हटाए जाने का सहायक पुलिस आयुक्त के उचित निर्देशों का परिपालन न किये जाने के कारण दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री वासुदेव कप्तान को अतनुसार आज अर्थात् दिनांक 14.5.97 को अपराहन 1.45 बजे, लाल किले की क्रॉसिंग से हटा दिया गया और पुलिस थाना, कोतवाली ॥पुलिस थाना लाल किला॥ में 15 मिनटों के लिए नज़रबंद रखा गया और उनके व उनके समर्थकों द्वारा यातायात में रुकावट उत्पन्न न करने व शांतिपूर्वक गले जाने के लिए राजी हो जाने पर उसी दिन अपराहन 2.00 बजे रिहा कर दिया गया।”

पी.एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Monday, 19th May, 1997 / Baishakha 29, 1919 (Saka)

No. 329

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 14.5.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi :-

" I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under section 65 of Delhi Police Act, 1978 to direct that Shri Vasdev Kaptan, Hon'ble Member of Legislative Assembly be removed from Red Fort Crossing, Delhi for not obeying the reasonable directions from Asstt. Commissioner of Police, Kotwali to desist from blocking the road and to refrain from stopping the natural flow of traffic alongwith his followers.

Shri Vasdev Kaptan, Hon'ble Member of Legislative Assembly was accordingly removed from Red Fort Crossing at 1345 hrs. today on 14.5.1997 detained at Police Station, Kotwali (P.O. Red Fort) for 15 minutes and released on the same day at 1400 hrs. after he and his followers agreed not to cause any further obstruction to traffic and to disperse peacefully."

P. M. SETHI
SECRETARY